भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3727

16.03.2026 को उत्तर के लिए

पशु पुनर्वास कार्यक्रम

3727. श्री यूसुफ पठानः

श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पूरे देश में मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या और फसल/संपत्ति की क्षति के केरल सहित राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार डेटा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संचालित पशु पुनर्वास कार्यक्रमों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके साथ ही स्थानांतरित किए गए पशुओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए केरल सहित प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई और जारी की गई कुल निधि कितनी है और मृतकों के लिए मुआवजा क्या है:

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफैंट के अंतर्गत राज्यवा/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रदान की गई निधि कितनी है; और

(ङ) अंतर-राज्यीय समन्वय को बढ़ाने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और वन-सीमावर्ती समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका के लिए उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने व साथ हीवन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं और वे सघर्षरत प्रजातियों के विवरण के साथ उनका संघर्ष संबंधी रिकॉर्ड भी रखते हैं।

केंद्र सरकार, 'वन्यजीव आवास विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' जैसी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वन्यजीवों और उनके आवासों के प्रबंधन, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन भी शामिल है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समर्थित गतिविधियों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, जंगली जानवरों को फसल क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा संचालित बिजली की बाड़, जैव-बाड़, सीमा दीवारें आदि जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण और स्थापना, और मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने फरवरी 2021 में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में अंतर-विभागीय समन्वय, संघर्ष के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को अपनाना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना, अनुग्रह राहत की राशि की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन और त्वरित भुगतान के लिए मार्गदर्शन/निर्देश जारी करने आदि की सिफारिश की गई है। पिछले तीन वर्षों में योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक –I

"पशु पुनर्वास कार्यक्रम" के संबंध में 16.03.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3727 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वन्यजीव आवासों का विकास' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को जारी किए गए फंड का विवरण।

(लाख रुपए में)

क्र.स.	**राज्यों/** संघ राज्य क्षेत्रों **के नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (11.03.2026 तक)**
1	अरुणाचल प्रदेश	672.46	1044.81	1032.59
2	असम	565.10	1234.46	695.16
3	बिहार	336.37	0	0
4	चंडीगढ़	16.49	0	0
5	छत्तीसगढ	116.24	135.58	11.90
6	गोवा	50.10	66.44	0
7	गुजरात	206.99	801.58	348
8	हरयाणा	167.85	232.97	96.12
9	हिमाचल प्रदेश	94.15	172.31	72.83
10	जम्मू और कश्मीर	69.57	73.97	29.89
11	झारखंड	14.91	71.93	0
12	कर्नाटक	581.52	800.82	292.79
13	केरल	921.03	909.63	320.80
14	मध्य प्रदेश	471.81	740.89	274.10
15	महाराष्ट्र	554.69	622.06	497.72
16	मणिपुर	231.72	261.70	0
17	मेघालय	243.56	389.59	0
18	मिजोरम	304.20	344.32	269.71
19	नगालैंड	1306.32	1490.04	998.90
20	ओडिशा	1005.08	1108.46	312.02
21	राजस्थान	0	0	336.62
22	सिक्किम	187.03	221.17	250.99
23	तमिलनाडु	373.89	661.78	237.27
24	उतार प्रदेश।	290.64	393.86	0
25	उत्तराखंड	498.49	652.47	280.14
26	पश्चिम बंगाल	385.29	183.14	417.63
27	पुदुचेरी	5.22	0	0
28	लक्षद्वीप	124.65	217.18	0
29	त्रिपुरा	186.05	339.48	0
30	लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश	6.00	0	0
कुल		9987.42	13170.64	6775.18

अनुलग्नक –II

"पशु पुनर्वास कार्यक्रम" के संबंध में 16.03.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3727 के भाग (ए) से (ई) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम (सीएसएस) के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान राज्य-वार फंड जारी किया गया

(₹ लाख में)

एस. नं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2023-24*	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	149.42	365.13	307.85
2	अरुणाचल प्रदेश	1119.91	1767.99	856.05
3	असम	2619.30	3030.84	4138.01
4	छत्तीसगढ	292.85	307.98	471.26
5	झारखंड	405.78	727.55	216.01
6	कर्नाटक	2613.08	2801.26	2142.66
7	केरल	996.22	221.36	1439.09
8	महाराष्ट्र	2614.45	4176.70	2372.66
9	मेघालय	65.25	59.4	61.11
10	नगालैंड	337.77	305.44	319.46
11	ओडिशा	1012.58	919.57	695.70
12	तमिलनाडु	2547.96	2184.88	1473.35
13	त्रिपुरा	27.08	14.68	21.33
14	उत्तर प्रदेश	1031.97	2075.10	1208.22
15	उत्तराखंड	1495.52	1823.23	1173.55
16	पश्चिम बंगाल	522.58	425.94	601.94
17	हरियाणा	26.1	31.2	1.75
18	बिहार	308.98	543.09	364.32
19	राजस्थान	968.30	579.47	776.32
20	मध्य प्रदेश	4303.79	5910.50	3084.03
21	मणिपुर	14.12	29.25	31.49
22	मिजोरम	144	367.08	250.62
23	तेलंगाना	323.30	291.68	405.27
24	हिमाचल प्रदेश	19.61	40.57	6.62
कुल		23959.92	28999.89	22418.67

*सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट एलीफेंट और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट टाइगर को मिला दिया गया है और अब इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट के नाम से जाना जाता है।